(b) the names of the States alongwith dates who are following the resolution;

(c) whether these States are following the resolution of the Lok Sabha or passing their own State Prohibition Act; and

(d) name of the States who have their own Prohibition Act?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विकलांग व्यक्तियों के लिए बजटीय आवंटन करना

3171. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या की तुलना में बजट में आवंटित राशि बहुत कम है;

(ग) क्या सरकार उनकी संख्या के अनुसार बजट प्रावधान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और सरकार इन व्यक्तियों की जीविका को साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) केवल तीन विकलांगताओं (अर्थात् दृष्टि सम्प्रेषण तथा चलन) को शामिल करते हुए 1981 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.8 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हैं। इसी संगठन द्वारा चार प्रकार की विकलांगता (अर्थात् दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा लोकोमीटर) को शामिल करते हुए 1991 में किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि 1.9 प्रतिशत जनसंख्या विकलांग है। इन दोनों सर्वेक्षणों ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटनों हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार इन व्यक्तियों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई कर रही है जैसा कि दिए गए विवरण में उल्लेख किया गया है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था

(1) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) विधेयक, 1995 की धारा 33 के अनुसार प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसी रिक्तियों पर उन विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को नियुक्त करेगी जो कम से कम 3 प्रतिशत होगी जिसमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण विकलांगता, (3) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित होगी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियों को केन्द्र सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह ''ग'' तथा ''घ'' पदों में शारीरिक, श्रवण और अस्थि विकलांगों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अधीन समूह ''क'' तथा ''ख'' पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण – दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत का विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र सं॰ 36035/16/91-स्थापना (एस सी टी) दिनांक 18.2.97 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए 41 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 47 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना अनन्य रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त समान्य रोजगार कार्यालय भी विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(3) सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उन्हें रोजगार में स्थापन करना है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है:—

(क) बिक्री स्टाल, कियोस्कों तथा छोटी-छोटी दुकानों का आबंटन,

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज योजना की विशिष्ट दर के अंतर्गत ब्याज की सांकेतिक दरों पर ऋण,

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन,

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी तेल डिपाओं आदि के वितरण में आरक्षण।

(5) विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता और कुशलता विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन दिनांक 24.1.97 को एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम को पंजीकृत किया गया है।

(6) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 40 के प्रावधान के अनुसार समुचित सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारी विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए सभी गरीबी उपशमन योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत का आरक्षण करेंगी।

(7) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विकलांग व्यक्तियों की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आबंटन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गों के वित्त और विकास निगम के जरिये पिछड़े वर्गों के लोगों को उच्च शिक्षा देने हेतु वित्तीय सहायता

3172. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के जरिये पिछड़ों को उच्च शिक्षा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या और उन्हें प्रदान की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार की सहायता दिए जाने के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस संबंध में प्राप्त हुए आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी,नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Welfare Schemes Running in Hill Region of Uttar Pradesh

3173. SHRI RAJ NATH SINGH:

SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Welfare Schemes running at present in the State of Uttar Pradesh particularly in hill districts of Uttar Pradesh alongwith the details thereof; and

(b) the number of persons who have been covered under these schemes, particularly people of remote areas?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. (*see* below). The Ministry of Welfare releases funds to the State Government or the NGO's. No separate details are maintained for this and remote areas/districts.

Statement

The details of the welfare Schemes running at present in Uttar Pradesh

S.No.	NAME OF THE SCHEME	BENEFICIARIES	
		1995-96	1996-1997
(1)	(2)	(3)	(4)
WELFARE OF SCHEDULED CASTES:			
1.	SCA to SPP for SCs	393057	269267
2.	SCDCs	43319	NA
3.	NSFDC (National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Dev. Corpn.)	NA	NA
4.	Post Matric Scholarship for SC/ST students	220831	231973